

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-39/मु०मं०नि०यो०-19-43/2019(पार्ट-1)/4606/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मो० बलागउद्दीन,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पटना, दिनांक 23/5/2022

विषय:- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया का पत्रांक-39/प०, दिनांक-08.02.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में भा०द०वि० की धारा 406/409/420/34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष (वार्ड सदस्य) श्रीमती रीता देवी एवं सचिव, श्री चंदन कुमार राम, पर अभियोजन चलाने के बिन्दु पर सरकार की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन

(मो० बलागउद्दीन)
संयुक्त सचिव